28.3.25

पत्रावली पेश हुयी। वादी/प्रति. अनु० रहे।
उक्त प्रकरण में मूल दावा अदम पैरवी/अदम
हाजरी में खारिज किया जा चुका है। इसलिये प्रा. पत्र
212 RTA का कोई औचित्य नहीं रहता है। अतः
प्रा. पत्र 212 RTA को भी अदम पैरवी/अदम हाजरी
में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल
शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।